बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

<u>श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना</u>

कार्यालय आदेश संख्या–5/आर०एल०–40–66/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

दिनांक–15.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–55, दिनांक–15.01.2026 द्वारा स्व० पूनमलता सिन्हा, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा के आश्रित पुत्री–सुश्री अंतरा श्रीवास्तव की वर्ग–3 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–2 (वेतनमान–19,900–63,200/–) में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए **उप श्रमायुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा** में पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव की जन्म तिथि–11.04.2002 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
4. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगी तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।
7. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।
8. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल–अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को विवाह में तिलक–दहेज न लेने और न देने का भी शपथ–पत्र देना होगा।
10. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0–2469 दिनांक–17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 768, दिनांक–03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

11. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

12. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव आदेश निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगी। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–66/2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आदेश की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियुक्ति पत्र को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2082 दिनांक–01.04.2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं उक्त राजपत्र की 10 (दस) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–66/2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा को समाहरणालय सहरसा के पत्रांक–82, दिनांक–22.01.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–66/2025 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–उप श्रमायुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा/अवर सचिव, प्रशाखा–02, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/श्रमायुक्त के सचिव/बजट शाखा, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सुश्री अंतरा श्रीवास्तव, पिता–श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, वर्त्तमान पता–कला कुटीर, WN-17, लक्ष्मीपुर मुहल्ला, मधेपुरा–852113 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–66/2025 श्र0सं0– 2531 पटना, दिनांक– 08/05/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/5/26
श्रमायुक्त, बिहार।